THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :—

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Esso (Acquisition of Undertakings in India) Act, 1974"

The mition was adopted.

SHRI D. K. BOROOAH : Madam, I introduce the Bill.

THE PREVENTION OF FOODADULTERATION (AMENDMENT)BILL, 1974

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (DR. KARAN SINGH) : Madam, I beg to move :

"That the Bill further to amend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 60 members; 20 members from this House,

1. Shri Triloki Singh,
2. Shri KamaJnath Jha,
3. Shri R. D. J. Avergoankar,
4. Shrimati Rathnabai Sreenivasa Rao,
5. Shri Tirath Ram Amla,
6. Shri B. C Mahanti,
7. Shrimati Kumudben Manishankar Joshi,
8. Shri P. L. Kureel Urf. Talib,
9. Shri Krishan Kant,
10. Shri Khurshed Alam Khan,
11. Shri Lalbuaia,
12. Shri K. B. Chettri,
13. Shri M. Kadershah,
14. Shri Sanat Kumar Raha,
15. ShriB. S. Shekhawat,
16. Dr. K. Nagappa Alva,
17. Shri Rabi Ray.
18. Shri S. A. Khaja Mohideen,
19. Shri Showaless K. Shilla,
20. Shri P. K. Kunjachen,

and 40 members from the Lok Sabha;

that in order to constitute a meeting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that in other respects, the Rules of Procedure of this House relating to Select Committees shall apply with such variations and modifications as the Chairman may make;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the Ninetieth Session of the Rajya Sabha; and

that this House recommends to the Lok Sabha that the Lok Sabha do join in the said Joint Committee and communicate to this House the names of members to be appointed by the Lok Sabha to the Joint Committee."

The question was proposed.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, कर्ण सिंह जी ने जो विधेयक संयुक्त प्रवर समिति में जाने का प्रस्ताव रखा है इस संबंध में कुछ अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूं। फूड एडल्ट्रेशन का प्रश्न आज हमारे देश में सबसे प्राथमिक प्रश्न है। आज हमारे देश में जिस बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों में मिलावट हो रही है और जिस तरह से देश का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है ऐसी स्थिति में इस को संयुक्त प्रवर समिति में ले जाने का कोई तुक नहीं है। क्या मंत्री महोदय को यह पता नहीं है कि आज हमारे यहां मिलावट किन-किन पदार्थों में हो रही और किस तरह से हमारे देश का स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है ? जब इनको इस सब बात का पता है तो इसको पहले से मूल्यांकन करने की स्थिती सरकार के पास क्यों नहीं आई। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि जब बहुत ही हठवादिता का रुख अख्तियार करें और कहें कि बिना प्रव समिति में जाए काम नहीं होगा तो आप को ऐसी व्यवस्था करें जिससे समय बहुत ही कम लगे—अगले सैशन तक।

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ओम् मेहता) : रवी राय जी से कहिए । वे भी इस समिति में हैं ।

श्री राजनारायण : रवी राय जी जानते हैं तो वे आप की तरह से पगलूस नहीं हैं । रवी राय क्या इस देश का हर व्यक्ति चाहता है कि फूड एडल्ट्रेशन रोका जाना चाहिए ।

श्री ओम् मेहता : अभी तो यह बिल लोकसभा जाएगा । वहां से पास होकर ही सेलेक्ट कमेटी को रैफर होगा । इसके बाद सेलेक्ट कमेटी मीट करेगी तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा ।

श्री राजनारायण : श्री ओम् मेहता हमारे साथी हैं । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं उनसे पुराना पार्लियामेन्टेरियन हूं । यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह बिल संयुक्त प्रवर समिति में जाने से पहले लोक सभा में जाएगा । यह बेकार की बात करने का कोई फायदा नहीं है । हमने तो माननीय मंत्री जी को यह बताया है कि हमारी यह भावना है ।

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष जी, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं । इसका स्वागत करते हुए मैं इस विधेयक के बारे में यह कहना चाहता हूं कि प्राथमिक खाद्य, प्राइमरी फूड और प्रोसेस्ड फूड के बारे में जो उपाय किये गये है, वह तो ठीक है लेकिन इसमें जहां अन्य लोगों के लिए दण्ड की व्यवस्था की गई है वहां खाद्य के निर्माता के विरुद्ध दण्ड की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और इस तरह की जानकारी समाचार पत्रों में और अन्य स्थानों पर भी आई है । मान्यवर, आज शहरी जिन्दगी जिस प्रकार की बनती जा रही है उसमें आप जानते है कि सब चीजें बनी बनाई मिलने लगी है, पाकेटों में मिलती हैं । चाहे प्राथमिक खाद्य ही क्यों न हो, वे सब बाजार में पाकेटों में मिलने लगे हैं और ये हमारे शहरी जिन्दगी का अभिन्न अंग बन गई हैं । इसलिए ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाई की जाएगी जो इनको निर्मित करता है, इसका कोई प्रावधान इस बिल में दिखाई नहीं देता है । जहां पर उसका खाद्य बनता है वहां पर आपने दण्ड की व्यवस्था की है, यह ठीक है । लेकिन उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी जिनकी वैकेरियस लायबिलीटीज हैं, सवाल पैदा होना चाहिए । ऐसा नहीं होना चाहिए कि निर्माता के यहां से माल बाहर चला गया तो उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई और जिम्मेदारी वहां पर चली गई जहां पर उसका उपयोग हो रहा हो । जो प्रोसेस्ड फूड है, जैसे मसाले हैं, दाले हैं, तिलहन है या इसी तरह की दूसरी चीजें हैं, इन चीजों के बारे में हमें विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जब इसको प्रवर समिति के पास ले जा रहे है तो वहां पर इसके लिए उचित व्यवस्था करें ताकि निर्माता मिलावटी वस्तुओं को बाजार में न बेच सकें और उनके लिए भी दण्ड की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए । आज हालत यह है कि जो निर्माता है, वह एकदम से बच जाता है । कानून में उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि धारा 16 में माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन रखा है उसमें उन्होंने कहा कि कम से कम सजा की अवधि तीन वर्ष होगी और अधिक से अधिक आजीवन कारावास का दण्ड होगा और 5 हजार रुपये जुर्माना भी हो सकता है । यह तो ठीक है । लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि धारा 21 में जो बात अब आप रखने जा रहे हैं वह हमारे देश का जो संविधान है और जो दण्ड प्रक्रिया संहिता है, उसकी मूल भावना के विपरीत है । जिन न्यायिक अधिकारियों को अधिक से अधिक दण्ड देने का अधिकार प्राप्त है उनके समक्ष कोई मुकदमा जाता है तो उनको अपनी सीमा तक दण्ड देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जब आजीवन कारावास का सवाल होता है तो वे मामले

[श्री श्याम लाल यादव]

को सेशन कोर्ट को सौंप देते हैं । साधारणतः जिन मजिस्ट्रेटों को जितनी सजा देने का अधिकार दिया गया है, इस बिल में यह प्रावधान किया जा रहा है कि वह चाहें तो उससे अधिक ी दण्ड दे सकते हैं । मैं समझता हूं कि ऐसा करना भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की भावना के विपरित है । मान्यवर, साधारणतः जब कोई मामला न्यायिक अधिकारी या जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास जाता है और वे आजीवन कारावास का दण्ड नहीं दे सकते तो मुकदमा सेशन कोर्ट में जाता है । इसी प्रकार से जब 307 का जुर्म बनता है या 302 का जुर्म बनता है तो मजिस्ट्रेट आमतौर पर जब वह दण्ड नहीं दे सकता है तो मुकदमा सेशन कोर्ट को भेज दिया जाता है और फिर सेशन कोर्ट मुनासिब सजा दे और इसी तरह की व्यवस्था यहां भी होनी चाहिए । अगर कोई ऐसा मुकदमा है जो मजिस्ट्रेट समझता है इसमें वह उचित दण्ड नही दे सकता है, उसके अधिकार सीमा के बाहर का दण्ड है, तो उसको अधिकार होना चाहिए कि वह उचित न्यायालय में मुकदमा भेज दे, मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त हो । एक उदाहरण देना चाहता हूं । अगर 7 वर्ष की सजा देने की बजाए वह समझता है 10 वर्ष की सजा दी जानी चाहिए, इस विशेष अधिनियम में यह व्यवस्था की जा रही है कि वह 10 वर्ष की सजा दे सकता है बावजूद इसके कि दण्ड संहिता में उसको 7 वर्ष का अधिकार है सजा देने का, तो जो इस प्रकार की भ्रमात्मक स्थिति है, एनोमेली है, मैं समझता हूं इसका निराकरण होना चाहिए और जब यह विधेयक प्रवर समिति में जाए तो माननीय मंत्री जी इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाएं कि इस तरह की एनोमेलीज़ को दूर किया जा सके ।

SHRI VISWANATHA MENON (Kerala) : Madam Vice-Chairman, on this Bill I want to say certain things because, although this Bill is now going to be referred to a Joint Select Committee, a lot of things have to be looked into. For example, food adulteration has become the most important crime in this country. But the present Act as it stands, is not at all a remedy for this crime. Moreover, in the matter of food adulteration in the country, at present, the small retail merchants are being harassed and they are being brought before the courts. But the actual culprits are the manufacturers, the big businessmen, who are allowed to go scot-free. If the honourable Minister has made some provision in the Bil[1] to get hold of such people, then, some relief might be expected to come to the people. But the truth is that everything in this country is adulterated. Even politics is adulterated; everything is adulterated. Behind this, the blackmarketeers, the corrupt people, the hoarders and above all, the big monopoly groups are sitting tight. I do not know how the honourable Minister, in the present situation as it is, is going to bring forward a legislation to remedy all these evils. But, without doing that, catching hold of some small retail shop owners and prosecuting them and giving them some punishment and publishing the news in the newspapers would not remedy the situation at all. So, if. the honourable Minister and the Joint Select Committee really want to solve the problem of adulteration, they must go to the root of the issue and see that the manufacturers, the big business men and the monopoly businessmen are caught hold of under the provisions of this Bill.

Madam, I want to stress one more point. The punishment provided under this Act as it is—I am not now talking about the present Bill.—is not at all sufficient and it is very meagre. Something more should be given. I recommend even death penalty for the food adulterator. Madam, such must be the attitude. Otherwise, even after 27 years of our freedom, there is no reason why this crime must be going on in this country and why we should be sufferi ng from the evils of this crime. Ev erything

Is adulterated in the country now. So deterrent punishment should be enhanced so that some relief comes to the general public.

On the whole, Madam, I welcome the move on the part of the Minister to bring forward this Bill and to refer it to the Joint Select Committee and I hope the honourable Minister and the Joint Select Committee will move in the right direction.

डा० जैड़० ए० अहमद (उत्तर प्रदेश) : वाइस चेयरमन महोदया, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जा रहा है। मेरी गजारिश है कि जिस तरीके से इस बिल में सजाएं देने की, धाराएं हैं वे ऐसी हैं, इस तरह रखी गई हैं कि जिससे दरअसल बहुत कम सजा मिलेगा। हालत को देखते हुए अगर आप कहें कि बजाए 5 साल के 7 साल की सजा दी जाए—आप 10 साल कह दीजिए आप 15 साल कह दीजिए—लेकिन ऊपर सजा बढ़ाई जानी चाहिए। नीचे की सजा कम बढ़ायी गई है। यह प्राविजन रख दिया गया कि अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको भी कम कर सकता है, जो मिनिमम है उसको भी कम कर सकता है, यानी एक दिन के लिए भी सजा दे सकता है। यानी मजिस्ट्रट की रजामंदी और उसके डिस्क्रीशन पर पूरी चीज छोड़ दी गई है। सजा की नवयत और सजा की गंभीरता, जुर्म की गंभीरता सामने नहीं रखी गई है, बजाए इसके मजिस्ट्रेट का डिस्क्रीशन रख दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह चीज पूरी इस बिल को खोखली कर देगी। यह जो धारा है जिसमें मजिस्ट्रेट को यह पावर दे दी गई है कि वह सजा कम भी दे सकता है, ज्यादा भी दे सकता स्पेशल मौकों पर, तो इस चीज में बहुत गड़बड़ी होगी। वह समरी ट्राइल भी कर सकता है और अगर वह न चाहे तो नही भी कर सकता है। आखिर में जो हुकूमत का तरीका है वह यह है कि इस तरह के काम वे अपने छोटे अधिकारियों को, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी और दूसरे अधिकारियों के जिम्मे कर देते हैं और ये लोग जो चाहते हैं वही होता है।

डा० कर्ण सिंह : जम्हूरियत का तकाजा है।

डा० जैड़० ए० अहमद : जम्हूरियत का तकाजा नहीं है, यह तो अराजकता का तकाजा है। टोटल अराजकता है, यह जम्हूरियत नहीं है। जहां पर आथारिटीज हैं और जिस आथारिटीज को in the interests of the people exercise करना होता है, वह एक्सरसाइज नहीं करता है बल्कि वह नीचे जो तीसरे दर्जे के निकम्मे अधिकारी बैठे हैं, उनके सिपुर्द कर देता है जिनमें न वह कैपेसिटी है और न काबिलियत ही है। वे लोग ईमानदार भी नहीं हैं और ये लोग आमतौर पर गलत तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो यह जम्हूरियत नहीं है। यह तो जम्हूरियत का डिस्टोरेशन करना हुआ। इंतजाम के नाम पर पुलिस वालों को और जो छोटे अधिकारी हैं, उनको सारे अधिकार दे दिये गये हैं, पटवारी को अधिकार दे दिये गये हैं। मजिस्ट्रेट जब चाहे समरी ट्राइल कर सकता है, इस तरह के अधिकार दे दिये गये है और जो जेब में पैसा कर देगा, उसका मामला रफा दफा हो जायेगा। जिस तरह से आज यह चीज हो रही है, उसी तरह से इस बारे में भी होगी। (*Interruption*) आप इस बारे में काबिल आदमी है और आप को इन चीजों के बारे में सब पता है और मैं आपको क्या बतलाऊ। इस तरह से मजिस्ट्रेट के हाथ में डिसक्रेशनरी पावर दे दी गई हैं और वह जब चाहे समरी ट्राइल करे या न करे। वह सात साल की भी सजा दे सकता है, तीन साल की भी सजा दे सकता है और तीन महीने की भी सजा दे सकता है। मैं समझता हूं कि यह धोका देने के तौर तरीके हैं। लोगों को संतोष करने के तरीके हैं कि हमने तो सजा पांच साल से सात साल बढ़ा दी है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी को सात साल की सजा नहीं होगी बल्कि अगर किसी को सजा होगी तो दस दिन, पंद्रह दिन या फिर पांच दिन के लिए हो जायेगी क्योंकि लोग मजिस्ट्रेट को खिलाने और चटाने में कोई कसर नही रखेंगे। आज लोगों के पास जो इस तरह का काम करते हैं काफी ब्लैक मनी है जिसको वे लोग खिलाने और चटाने के लिए दे सकते हैं। इसलिए इस बिल को जरा संजीदगी के साथ देखना चाहिय।

[डा० जैड० ए० अहमद]

मुझे खुशी है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जा रहा है और मुझे यकीन है कि सिलेक्ट कमेटी में इन सब पहलुओं के बारे में देखा जायेगा और इस समय देश की जो हालत है, उस पर भी बह और करेगी (*Interruption*) आप बहस में दूसरी चीज को ले आये हैं और मैं चाहता हूं कि दवाओं को भी इस में अगर जोड़ा जा सकता है तो यह भी इस बिल के तहत आ जानी चाहिये। आपको मालूम है कि आजकल दवाओं में भी दूसरी चीजें मिलाई जा रही हैं और जिनके खाने से लोगों की मौत हो जा रही है। खराब खाना खाने से तो मौत हो जाती है, लेकिन दवा खाने से भी मौत हो जा रही है। इसलिए अगर इस चीज को भी जोड़ दिया जाय तो अच्छा होगा।

अभी हमारे प्रदेश में दवाओं का एक भारी गोलमाल हो चुका है जिसको ग्लूकोज का कान्ड कहते हैं। मैं जानता हूं कि दवाएं भी नकली बनाई जा रही हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर इस बात पर भी नजरखारी की जाय, तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि बड़ी संजीदगी के साथ इन सब पहलुओं पर गौर किया जाय क्योंकि जो लोग इस तरह का काम करते हैं, जो पब्लिक को लूटते हैं, मारते हैं, उनके साथ मजबूती के साथ पेश आया जाय क्योंकि ये लोग अपनी जेब भरने के लिए इस तरह का काम करते हैं। (*Interruption*) हर चीज को राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिये। इसमें राजनीति का सवाल नहीं है। न यह कांग्रेस का सवाल है, न मेरा सवाल है, न राजनारायण का सवाल है। सवाल लाखों-करोड़ों जनता का है जिनको लगभग जहर खाना पड़ता है, फूड पोइजनिंग होती है क्योंकि कुछ लोग मुनाफाखोरी करते हैं। मुनाफाखोरों के साथ सरकारी अफसर और हर प्रकार के घुसखोर जुट जाते हैं और घुसखोरी का मैदान विस्तृत होता चला जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पाप के, इस गुनाह के, जो इनसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा गुनाह है, सब खिड़कियां, दरवाजे मजबूती से बन्द कर दिए जायं। इसलिए इस समझ के साथ मैं स्वागत करता हूं कि यह सेलेक्ट कमेटी के सामने जाय।

श्री **ओउम् प्रकाश त्यागी** (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं गवर्नमेंट को हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने बड़ी समझदारी के साथ इस विधेयक को जोइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सामने भेजने का प्रस्ताव रखा है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करत हूं। यह विधेयक जिस रूप में उपस्थित हो रहा था उसमें जो वास्तविक डाकू हैं, दोषी हैं वे इस विधेयक की परिधि से बाहर निकल जाते। आप अब तक का इतिहास ले लीजिए। आप सब प्रान्तों के आंकड़े ले लीजिए, दोषी को सजा नहीं मिली, निर्दोष को सजा मिली है। उन्हीं को सजा देने के दृष्टिकोण से यह विधेयक आ रहा था। मैं एक छोटी सी बात बताऊं। आप बाजार में रिटैलर्स के सेम्पिल्स लेंगे और उनकी जांच करने के बाद रिटैलर को पकड़ेंगे। रिटैलर यह कहता है, कि मेरी चीज नहीं है, मैंने वहां से खरीदी है होलसैलर से, वहां का भी सैम्पिल लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट का कोई भी आदमी होलसैलर से, जहां से वह सामान लेता है, सैम्पिल लेने की आवश्यकता अनुभव नहीं करता। इस बिल में यह बिलकुल नहीं है। इसमें यह है कि एडल्टेरेटेड चीजें जहां मिल जायं, जिसके पास मिल जाय बिकती हुई उस आदमी को पकड़ा जाय, उसको सजा दी जाय। यह नहीं है कि एडल्टेरेशन किसने किया। एडल्टरेशन जिसने किया उसको दंड मिलना चाहिए। इस विधेयक के द्वारा एडल्ट-रेशन करने वाले बिल्कुल बचे हुए हैं क्योंकि एडल्टरेशन के सौर्स से, होलसेलर्स से, जहां से एडल्टरेशन शुरू होता है, रिटैलर बेचारे थोड़ा-बहुत सामान ले जाते हैं, वे पकड़ जाते हैं, उनको सजा होती है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में यह भी आना चाहिए कि जांच के लिए सेम्पिल लिया

जाय तो जहां से सामान खरीदा गया है उसका भी सेम्पिल लिया जाय, दोनों जगह छापे मारे जायं ताकि जिसने एडल्टरेशन किया है वह पकड़ में आए। जो वहां से खरीद कर बेच रहा है, दस-बीस रुपए का सामान रोजाना ले आता है, रोजाना बेचता है, उस फुटपाथ पर बैठने वाले हाकर को आप पकड़ लेते हैं क्योंकि तुम्हारी चीनी में मिलावट है। वह कहता है कि चीनी मैं ने वहां से खरीदी है, अगर उसमें कोई चीज मिली है, स्टोन मिला है तो होलसैलर ने मिलाया है, लेकिन यह विधेयक ऐसा नहीं मानता। एक बड़े ताज्जुब की चीज मैं बताता हूं। मेरे सामने इस प्रकार के अनेक केसेज आए। स्टैंडर्ड और सब-स्टैंडर्ड की आपने एक अजीब डेफिनीशन बनाई हुई है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने दूध का स्टैंडर्ड रखा है इसमें इतना बटर होना चाहिए। उपसभापति महोदया, अगर आप चौमासे में भैंस के दूध से बटर निकालेंगी, जब वह घास खाती है, तो उस दूध में बटर की मात्रा कम होगी और जाड़े के दिनों में जब बिनौला खाती है भैंस, उस दूध में कुछ और होता है, यानी इन दोनों में भी स्टैंडर्ड और सब-स्टडर्ड हो गया। तो आप किस तरीके से करेंगे। किसी आदमी के पास भैंस को खिलाने के लिए कुछ नहीं है और अगर उस के दूध में मक्खन कम है तो सरकार के इस कानून से तो वह जुर्म होगा और वह पकड़ा जायगा। मैं एक और चीज बतलाना चाहता हूं। सबेरे हलवाई के पास दूध स्टेंडर्ड का आया। हलवाई ने उसे खरीद लिया और दोपहर तक उस पर मलाई जमती रही और वह उस मलाई को बेचता रहा। आप के आदमी दोपहर बाद आये सेंपुल लेने के लिए और सेंपुल ले लिया। उस दूध से मलाई के रूप में कितना बटर निकल गया और दोपहर बाद आप सेंपुल ले रहे हैं तो उस का तो स्टैंडर्ड कुछ नहीं होगा, और इस प्रकार से सेंपुल ले कर न मालूम कितने लोगों को सजा दी गयी होगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Please do not go into the details.

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने बेईमानी का काम नहीं किया है। हलवाई है, चाय वाला है, वह दूध नहीं बेच रहा है...

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : मैं समाप्त ही कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि किस तरह से इस में लोगों को सजा दी गयी है। कहीं एक चाय बेचने वाले की दूकान है। वह चाय बेच रहा है। उस का दूध रखा है और वह दूध चाय में मिला रहा है। उस के लिए दूध में पानी मिलाने का सवाल नहीं है। वह तो उस दूध को चाय में मिला रहा है, लेकिन आप के कर्मचारी उस के दूध का भी सेंपुल ले रहे हैं। उस ने कहा कि मैं तो चाय बेच रहा हूं, दूध नहीं बेच रहा हूं, लेकिन उस के दूध का सेंपुल लिया जा रहा है और इस तरह से उस को सजा हुई है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं लेकिन मैं इस में एक चीज की ओर और इशारा करना चाहता हूं। आप ने कानून तो बना लिया है लेकिन इस की जांच करने के लिए आप के पास एक लेबोरेटरी कलकत्ता में है। मैं समझता हूं कि अगर आप ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं और दोषी आदमियों को दंड देने की व्यवस्था कर रहे हैं तो उस के लिए हर प्राविंस में कम से कम एक लेबोरेटरी होनी चाहिए नहीं तो दस, पंद्रह दिन बाद वहां सेंपुल जायगा और पता नहीं उस समय उस की क्या स्थिति होगी। यह ठीक है कि आप उस में कुछ केमिकल्स मिलाते हैं लेकिन सेंपुल जाते जाते उस की स्थिति बदल सकती है। तो जब तक हर प्राविंस में लेबोरेटरी न हो तब तक इस तरह का विधेयक लागू करना जनता के साथ अन्याय करना होगा। आप इन सारी

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY; : Please finish now. This is not the time for a discussion.

[श्री ओउम् प्रकाश त्यागी]

बातों का ध्यान कर के ज्वाईंट सेलेक्ट कमेटी में इस पर विचार करें। मैं इस का समर्थन करता हूं और मानता हूं कि जो खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है वह पापी है, हत्यारा है, मैं उस के लिए दया का पक्षपाती नहीं हूं। उस को कड़ी सजा होनी चाहिए लेकिन जो दोषी हो उसे सजा होनी चाहिए, निर्दोष उस में दंडित न हों, इस प्रकार की व्यवस्था इस में होनी चाहिए।

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD (Kerala) : Madam Vice-Chairman, may I welcome this piece of legislation and at the same time may I point out some facts for the consideration of the hon. Minister and for the consideration of the Select Committee ? Madam, as it has already been said, whenever this type of legislation comes into force, the real people who are brought under the mischief of the Act are the small dealers in the country. Retailers have been booked and they have been prosecuted under the Prevention of Adulteration Act. I know many cases, Madam, where I had to defend as a lawyer the small retailer. Small retailers, having a turnover of Rs. 50 per day, have been booked for adulterating grains. Actually what they do is they go to the wholesaler and purchase the grains, thinking in good faith that they are unadulterated grains. They have no knowledge that they are being adulterated. But the sanitary and health inspectors go there and seize the articles, and they are being booked. In many cases, these innocent people are being punished. They are being fined, they are being imprisoned for six months or one year. In this connection, I would like to say that steps should be taken to see that actually the real culprits are punished. These intermediaries who are very innocent, who are acting in good faith, thinking that they are not adulterated, should not be punished. This matter should be taken into consideration. Only the people at source should be punished. First of all we should diagnose what the disease is. Then we should treat the patient and see that that disease does not recur. There is no question of punishing the small retailers here and there. On the other hand, hoarders and the people at the source should be punished.

Madam, we should actually see where this adulteration takes place and we should get hold of them and punish them-In any criminal law, it is well known that *mens rea* is very important for the punishment of a person. A person who does not have *mens rea,* who does not have any intention of crime, who does not have any knowledge of crime, if such a person is caught hold and punished, it means greater injustice. So, if a person knowingly keeps adulterated food ar.d has the intention of cheating the public and has the intention of selling that adulterated food, he alone should be brought within the purview of this law. That is the primary justice of criminal law. I know of many cases where a party has gone on a hunting or shooting programme but has by mistake shot a person dead, under criminal law it has been considered as an accident, here under the Prevention of Food Adulteration Act if a person without his knowledge of Selling adulterated food, is brought within the purview of this law, that would be a great injustice.

(*Time bell rings)*

Madam, another thing we should be careful about is with regard to the officers who are entrusted with the responsibility of executing this Act. At present, many of our health inspectors are not trained properly. They cannot distinguish between adulterated and unadulterated grains. It is, therefore absolutely necessary that only trained health officers and trained executive officers are empowered to act under this Act. The enforcement of this Act should not be entrusted to each and every officer. We should also see that this

Act is not misused by the officers to harass the middlemen and small petty shopkeepers in the various parts of the country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Shri Deorao Patil. Not here.

श्री बनारसी दास (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदया, यह एक ऐसा बिल है जिस पर सदन के किसी भाग को मतभेद नहीं हो सकता । परन्तु यह कहना भी आज सत्य होगा कि अडल्ट्रेशन बड़े व्यापक पैमाने पर है और मंत्री महोदय ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है इससे अडल्ट्रेशन बन्द नहीं होने वाला है । जितने आप प्रावधान सख्त करेंगे उतना ही आपकी मशीनरी को रिश्वत लेने का मौका मिलेगा । प्राय: करके जैसे और सदन के सदस्यों ने कहा सैनिटरी इंस्पैक्टर्स, हैल्थ आफिसर्स अगर इनका सहयोग हो तो अडल्ट्रेशन कहीं भी राज्य के अन्दर नहीं हो सकता है । लेकिन ऐंटी अडल्ट्रेशन ऐक्ट को रोकने वाला यह महकमा केवल अपनी आमदनी बढाने के लिए इस्तेमाल करता है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिल में आप ऐसा प्रावधान करें कि अगर किसी जिले में अडल्ट्रेशन हो तो उसकी सजा सैनिटरी इंस्पेक्टर और हैल्थ आफिसर को होनी चाहिए । अगर आप इनको जिम्मेदार बनायें, अगर हैल्थ आफिसर जाकर कहीं सैंपुल लेता है तो सैनिटरी इंस्पेक्टर को जिम्मेदार ठहराया जाए और अगर अकस्मात् किसी जिले का सैंपुल कोई हायर अधिकारी लेता है तो हैल्थ आफिसर को उसके लिए जिम्मेदार बनाया जाए । महोदया, मैंने स्वयं कई दफा देखा 11-12 मील के फासले पर एक हैल्थ आफिसर की मेम साहब ने एक हलवाई से मिठाई मांगी और जब हलवाई ने पैसे मांगने की जुर्रत की तो एक हफ्ते के बाद साहब बहादुर आए और सारी मिठाई फैंक दी तथा उस पर जुर्माना कर दिया । मैं आप से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाए कि कितने सेनेटरी इंस्पैक्टर हैं जो कि दूध का पैसा देते हैं, मिठाई का पैसा देते है और दालों का पैसा देते हैं । शायद एक हजार में से 0.1 आदमी ऐसा होगा हैल्थ डिपार्टमेंट में जो कि अपनी जरूरत की चीजों का पैसा अदा करता हो । अभी कलकत्ता में, दिल्ली में और और कई जगहों से इस बात की रिपोर्टें अखबारों में आई कि दालों के अन्दर एक इस तरह का मिक्सचर होता है जिसकी वजह से आदमियों को बड़ी तादाद में पैरालाईसेज हुआ है तो क्या इसको रोका नहीं जा सकता है ।

1 P. M.

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी आप देखिए कि रेड्स आप करते हैं तो रिटेलर के यहां रेड करने से बाजार में स्केयर-सिटी और हो जाती है । मेरा कहना है कि आप होल सेलर और मैन्युफैक्चरर को जिम्मेदार बनाएं क्योंकि उनका कंट्रोल होता है । जैसे, लीवर ब्रदर्स है । उनके यहां साबुन बनता है और रिटेलर उनकी मर्जी पर रहते हैं । अगर कहीं पर साबुन में या इसी तरह की किसी और चीज में—वेजी फूड में कोई मिक्सचर पाया जाए और उसके लिए रिटेलर को जिम्मेदार ठहराते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप मार्किट में और ज्यादा स्केयरसिटी पैदा करते हैं । जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन लोगों के पास बड़ेबड़े साधन हैं, जिन लोगों के पास बड़ेबड़े वकील हैं और जिन लोगों के पास डिफैन्ड करने की क्षमता है उनको एन्टी एडल्ट्रेशन एक्ट से कोई चिन्ता नहीं हो सकती । मेरा कहना है कि इस चीज के संबंध में सदन का पूर्ण समर्थन आप को है । कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो यह कह दे कि ऐसे लोगों को सजा न दी जाए । लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी चीजों में लोकमत भी पैदा करना होगा और इसके लिए आपको, रूलिंग पार्टी को और दूसरे लोगों को आदर्श प्रस्तुत करना होगा । जो लोग एडल्ट्रेशन करते हैं, जो लोग समाज द्रोही हैं और जिन लोगों के हाथ बेगुनाह कितने ही लोगों के खून से रंगे हुए हैं, उनके बड़े-बड़े रिसैप्शन के अंदर बड़े बड़े लोग जाएंगे तो इससे एडल्ट्रेशन रुकने

[श्री बनारसी दास]

वाली नहीं है । एक तरफ तो आप कानून पास करेंगे और दूसरी तरफ उनको सामाजिक मान्यता दी जायगी तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं । यह कोई मतभेद का विषय नहीं है । आपके द्वारा मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अबर समिति में आप इस दृष्टि से सोचें कि आपके कार्य की इतिश्री केवल इससे नहीं हो जाती कि सजा आपने बढ़ा दी और सजा को और कठोर बना दिया और राज्यों को डिस्क्रिशन पावर दे दी बल्कि आपको यह भी देखना है कि गरीब जनता के साथ इन्साफ हो । गरीब लोग, जिनके पास डिफैन्ड करने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास अफसरों के हाथ चिकना करने के लिए धन नहीं है, उनको न्याय मिल सके, इसको भी आपको देखना होगा ।

दिल्ली आपकी यूनियन टेरैटरी है क्या इसके लिए आपने कोई संगठित रूप से, तथा नियोजित रूप से प्रयास किया है कि दिल्ली को कम से कम एल्डट्रेशन से फ्री किया जाए । अगर किया गया तो कितने हैल्थ आफिसरों को सजा दी गई । मैं आप से कहूंगा आपके पास मीसा है, डी०आई०आर० है क्या आपने इनका इस्तेमाल किया । यदि किया तो कितने आफिसरों को, सरकारी अधिकारियों को डी०आई०आर० के अंदर बंद किया और कितनों को जिम्मेदार ठहराया गया । इस एडल्ट्रेशन की वजह से कितने लोगों को मौत की सजा हुई है । मिली हुई शराब से कितने लोग मरते हैं । अभी कुछ महीनों पहले आपने देखा है कि कानपुर के अन्दर एक बड़े भारी प्रोफेसर की बीवी की बनी फेक्टरी में ग्लूकोज से लोगों की मौतें हो गई । हमारा कानून धीरे धीरे चलता है । आपने यह भी देखा होगा कि जितनी भी पार्टियां होती हैं उनमें सम्भ्रान्त लोग भी शामिल होते हैं । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप इस कानून में समुचित व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक यह कानून अपूर्ण होगा और यह कानून भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में दूसरों को हैरास करने के लिए और जनता में स्केयरसिटी पैदा करने के लिए भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाला हथियार होगा । जब तक आप इसमें कोई डिटरेन्ट सजा नहीं रखते हैं, तब तक इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है । मैं चाहता हूं कि सेनेटरी इंस्पक्टरों और अन्य हैल्थ अधिकारी जो सूबों में होते हैं उनके संबंध में भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए और डायरेक्टर जनरल हैल्थ सर्विसेज और डायरेक्टर जनरल मेडिसिन के अलावा अडल्ट्रेशन के लिए भी अलग से कोई हैड आफ दी डिपार्टमेंट होना चाहिए । आज हालत यह है कि हर जिले में मिलावट इतने बड़े पैमाने पर हो रही है कि उसकी चेकिंग करना बहुत जरूरी हो गया है और जब तक आप अधिकारियों के लिए सजा की समुचित व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

DR. KARAN SINGH : Madam Vice Chairman . . .

SHRI L. MAHAPATRO (Orissa) : Madam, just one question before he starts. How does he call it Prevention of Adulteration Act ? This is only a futile attempt at detection; there is no clause for prevention. So why does he call it Prevention of Adulteration Act ?

DR. KARAN SINGH : As has been very clearly brought out in the interventions made by hon. Members the growing menace of food and drug adulteration has now assumed such dangerous proportions that it calls for a very intense national effort. I am aware of the fact that simply passing a Bill or amending a Bill will not solve the problem as somebody has said. What is required is the creation of an alert and active public opinion and if I may say so, Madam, this growing adulteration by people who play with the lives of innocent citizens of this country in a way reflects the fact that many of the standards in our public life are beginning to fall. I feel that unless there is a national revival as far as the moral

ucture of our whole society is c jncerned no amount of legislation is going to solve the problem and those who are Members of Parliament, who are leaders of public opinion can play a very important role. Madam, for drugs separately we are bringing in an amendment to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 so that in this particular amendment I am dealing only with food. And because the old Act is named Prevention of Food Adulteration Act naturally my amendment will also have to take the same name. I remember some six or seven months back when I first took over this portfolio this matter was raised in this House and I had assured the House that I was going to come before Parliament before the end of this year with a measure which is designed to plug the loopholes in the existing legislation and to make the punishments more stringent than they are at present. Very briefly, with your permission, Madam, I would like to place before the House what the salient features of this measure are. We are making a distinction between raw agricultural products and processed foods. Where processed foods are adulterated we are suggesting a minimum imprisonment of at least one year and where adulteration causes death or can cause grievous hurt within the meaning of section 320 of the Indian Penal Code the adulterator shall be liable for punishment going up to life imprisonment. This is in response to the general public opinion.

DR. KARAN SINGH : The definition is all there in the Bill. I do not at this stage want to go into great details. I am simply saying that we are giving life imprisonment and this is as

श्री बनारसी दास : मैं यह जानना चाहता हूं कि अडल्ट्रेशन की डेफिनिशन क्या होगी ?

a result of public opinion. Public opinion is totally enraged all over the country at this menace of adulteration. Innocent people's lives have been lost as a result of these anti-social and anti-national activities. Offiences are being made cognisable and non-bailable. Powers are being given to the Food-Inspector to seize books of accounts whenever necessary. The sample is going to be divided into four p r u t s instead of three and we are setting up and strengthening the Food and Drug laboratories in the Fifth Plan in various parts of the country. I agree that this is an important point. Powers are being given to the Health Officers to destroy foods that are unfit for human consumption and on the Central Committee on Food Standards wc are giving additional representation to the trade and to the consumers because both the traders and the consumers have to be there. Madam, the question as to whether the manufacturers or the wholesalers or the retailers are responsible is a very interesting one. I have had deputations from all the three. The manufacturers say that we have nothing to do with it; we sell pure goods and it is the wholesalers who do it. The wholesaler says that he is innocent and it is the retailer who adulterates. I do not want to brand the entire trade because there are honest people at all these levels, but my own view is that adulteration takes place at all the three levels, at the manufacturer's level, wholesaler's level and the retailer's level. Whatever Bill we bring, whatever administrative machinery we bring into being or strengthen, we have got to cover all these three areas. We cannot leave any of the areas out.

I must admit that J was rather reluctant to refer this to a Joint Committee, because I was very anxious that this Bill should be passed as quickly as possible. However, after th< Bill was introduced in this hon. House we received a large number of representations and a number of people spoke to me, including Members of Parliament and others. A number of points were raised. For example, what is ths I distinction between adulterated foods

[Dr. Karan Singh] and sub-standard foods, adulteration which is caused deliberately by human involvement and human intention and something which may be caused by nature ? Then there were some problems regarding warranty, whether the warrenty given to a retailer by a wholesaler should be considered as sufficient or whether it should De by the Food and Agriculture Ministry by Agmark, and so on. Some hotel and restaurant people were con cerned that they might be unnecessarily harassed and so on. We thougnt that as this is a bit of legislation with far-reaching consequences and in which we are raising the punishment to life imprisonment, it would be useful to us to get the mature guidance and advic of Members of Parliament. It is for this reason that I have moved the motion for reference to a Joint Committee- I would take this opportunity to urge on the Joint Committee—and here I agree with my hon. friend, Rajnarainji—that it should not be unduly delayed. My very respectful submission to the Committee will be this. I have put here the first day of the next Session, I would be extremely grateful if in the inter-Session period the Joint Committee meets. Quite frankly, I think it should be possible to meet in Delhi. It is not really necessary to travel all over perhaps to get evidence. If there is evidence to be taken, people can meet us here and we must come to a decision. My great desire is that before the end of this calendar year, by the 31st December, this Act j should be on the Statute Book, so that this grave menace which is growing and which is affecting the health and happiness of thousands in this country and the generation yet unborn is put an end to. We should be able to do something drastic and effective. I agree that the implementing machinery is very important. Here I may simply point out that it is the State Governments which have the basic responsibility and local bodies. We have got to see that the administrative mechanism is provided. We have got to see that corruption that may exist in the inspectorates is rooted out. It is a many-headed menace. It will require a multi-pronged attack, but this measure will give me a major weapon with which to meet it.

With these words, I commend my motion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

"That the Bill further to amend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 60 members; 20 members from this House,

1. Shri Triloki Singh,
2. Shri Kamalnath Jha,
3. Shri R.D.J. Avergoankar,
4. Shrimati Rathnabai Sreenivasa Rao,
5. Shri Tirath Ram Amla,
6. Shri B. C. Mahanti,
7. Shrimati Kumudben Mani-shankar Joshi,
8. Shri P. L. Kureel Urf. Talib,
9. Shri Krishan Kant,
10. Shri Khurshed Alam Khan,
11. Shri Lalbuaia,
12. Shri K. B. Chettri,
13. Shri M. Kadershah,
14. Shri Sanat Kumar Raha,
15. Shri B. S. Shekhawat,
16. Dr. K. Nagappa Alva,
17. Shri Rabi Ray,
18. Shri S.A. Khaja Mohideen,
19. Shri Showaless K. Shilla,
20. Shri P. K. Kunjachen,

and 40 members from the Lok Sabha;

that in order to constitute a meeting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that in other respects, the Rules of Procedure of this House relating to Select Committees shall apply with such variations and modifications as the Chairman may make;

that the Committee shall make report to this House by the first day of the Ninetieth Session of the Rajya Sabha; and

that this House recommends to the Lok Sabha that the Lok Sabha do join in the said Joint Committee and communicate to this House the names of members to be appointed by the Lok Sabha to the Joint Committee".

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN: The House stands adjourned till *a* P.M.

The House then adjourned for lunch at fourteen minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock, The Vice-Chairman, (Shrimati Purabi Mukhopadhyay) in the Ch:ir.

DISCUSSION UNDER RULE 176— FLOOD AND DROUGHT SITUATION IN THE COUNTRY

The VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): Discussion under Rule 176. Shri Prakash Veer Shastri.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : अधिष्ठाता महोदया, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा और अकाल, ये कुछ इस प्रकार की राष्ट्रीय समस्याएं हैं, जो स्वाधीनता के 27 वर्ष के बाद भी इस देश का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। प्रकृति का कैसा विचित्र उपहास है कि देश का एक बहुत बड़ा भाग बाढ़ आ जाने से विनाश के लपेट में है और दूसरी ओर इतना ही या उससे कुछ अधिक भाग इसलिए विनाश की लपेट में है कि वहां पर पानी की एक बूंद भी नहीं आई।

जब संसद् का वर्षाकालीन अधिवेशन प्रारम्भ होता है, तो निश्चित रूप से यह मान लिया जाता है कि बाढ़ आयेगी और बाढ़ के ऊपर चर्चा भी होगी। हमारा अपना दुर्भाग्य यह है कि केन्द्रीय सरकार इस बाढ़ और सूखे का कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम निर्धारित नहीं कर सकी और उसी का परिणाम यह है कि प्रतिवर्ष इन घटनाओं का सामना देश को करना पड़ता है।

गतवर्ष इस देश को जो बाढ़ से हानि हुई है, उसके आंकड़े अपने शब्दों में न देकर भारत सरकार के उप सिंचाई मंत्री श्री कुरील की अध्यक्षता में जो एक समिति का निर्माण किया था और उस समिति ने जो आंकड़े दिये हैं उन्हीं का उल्लेख मात्र करना चाहता हूं। श्री कुरील ने अपनी समिति की रिपोर्ट 13 फरवरी, 1972 को दी थी और उसमें उन्होंने बतलाया था 1951 से लेकर 1971 तक इस देश में जो बाढ़ से हानि हुई है, वह 2400 हजार करोड़ रुपये की है। यानी प्रति वर्ष लगभग 126 करोड़ रुपये की हानि बाढ़ से इस देश को होती है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, गैर सरकारी आंकड़े इससे भी कुछ अधिक बढ़ चढ़कर हैं, जिनका समय के अभाव से जान-बूझकर उल्लेख नहीं करना चाहता हूं।

अभी कुछ दिन पहिल राष्ट्रीय विज्ञान एकाडमी में एक गोष्टी हुई थी। और उसमें इस सम्बन्ध में भी चर्चा हुई थी। डा० कमलेश ने अपना लेख पढ़ते हुए 1953 से लेकर 1958 तक, जो उन्होंने आंकड़े उस समय दिये थे उसमें उन्होंने कहा कि 10,400 मनुष्यों की